

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

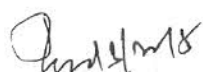
विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन रू0 101.47 (एक सौ एक रुपये सैतालीस पैसा) प्रति क्वींटल का दर निर्धारण के संबंध में ।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा देना है। इसके आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12 प्रतिशत अर्थात् 783.74 लाख एवं नगरीय क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत अर्थात् 87.42 लाख आबादी कुल 871.16 लाख आबादी को आच्छादित किया जाना है। अधिनियम की धारा-10 के अधीन निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की औपबंधिक डाटा से वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 6,90,45,361 पात्र व्यक्तियों एवं नगरीय क्षेत्रों में 70,17,365 पात्र व्यक्तियों की संख्या क्रमशः ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत गृहस्थियों की संख्या 25,01,000 है। इन गृहस्थियों को पूर्व की भाँति 35 किलोग्राम प्रति गृहस्थी की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अवशेष 6,44,07,985 पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति की दर से माह मार्च, 2014 से उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मूल्य दर 2/- रू0 प्रति किलो गेहूँ एवं 3/- रू0 प्रति किलो की दर से चावल की आपूर्ति की जा रही है।

3. उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही खाद्यान्न की आपूर्ति करना है। फलतः खाद्यान्नों के हथालन, परिवहन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन का वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 22 (डी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के कमीशन के मद में राज्य सरकार को वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। तत्काल उक्त वित्तीय सहायता के संबंध में भारत सरकार से प्रक्रिया एवं राशि के संबंध में सूचना अप्राप्त है।



5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत 4,09,575 मे0टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन माह मार्च, 2014 से भारत सरकार से प्राप्त हुआ है जिसे पात्र गृहस्थियों को अनुमान्यता के अनुसार आपूर्ति हेतु जिलों को उपावंटित किया गया है। माह मार्च, 2014 में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के पात्र गृहस्थी को तथा अवशेष पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर 2/-रु0 प्रति किलोग्राम गेहूँ एवं 3/-रु0 प्रति किलोग्राम की दर से चावल भारतीय खाद्य निगम से क्रय कर इसी दर पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति किया जा रहा है। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को पूर्व से निर्धारित अन्त्योदय दर के अनुरूप प्रति क्वींटल 40/-रु0 कमीशन के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया है। इसके आलोक में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत अपना कमीशन 40/-रु0 प्रति क्वींटल रखते हुए 160/-रु0 प्रति क्वींटल की दर से गेहूँ एवं 260/-रु0 प्रति क्वींटल की दर से चावल का मूल्य बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में जमा किया जाता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न के हथालन, परिवहन, भंडारण एवं अन्य कार्यों के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को मार्जिन मनी दी जाती है। विभिन्न योजनाओं में निगम के लिए वर्तमान में निम्नवत् मार्जिन मनी एवं डीलर कमीशन अनुमान्य है :-

योजना का नाम	मार्जिन मनी (रुपये प्रति क्वींटल)		डीलर कमीशन	
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
बी0पी0एल0	35.00	35.00	40.00	40.00
ए0पी0एल0	21.00	22.60	30.00	40.00
अन्त्योदय	37.00 (कर सहित) 29.00 (कर छोड़कर)	37.00 (कर सहित) 25.00 (कर छोड़कर)	40.00	40.00

6 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया है जिसके प्रावधानों को माह फरवरी, 2014 से राज्य में भी लागू किया गया है। अधिनियम के आलोक में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में अबतक पहचान किये गये कुल 7,60,62,726 पात्र व्यक्तियों हेतु कुल 4.09 लाख मे0टन खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदामों तक पहुँचाया जा रहा है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन के मद में वास्तविक व्यय 101.47 रु0 प्रति क्वींटल है जिसकी गणना निम्नवत् की गई है :-

कुल खर्च प्रति क्वींटल

1. परिवहन
2. हथालन
3. स्थापना

— 38.40 रु0

— 7.77 रु.0

Handwritten signature

4. भंडारण	— 3.89 रु0
5. आर0ओ0 क्रय में वाणिज्य कर विभाग को दिये जाने वाला मूल्य संवर्द्धित कर	— 10.41रु0
6. आकस्मिकता	— 1.00 रु0
7. जन वितरण प्रणाली डीलरों का कमीशन	— 40.00 रु0

कुल योग — 101.47 रु0

उक्त मदों में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा अपने उक्त पत्र में दर निर्धारण के संबंध में आधार भी प्रस्तुत किया गया है ।

7. अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी हेतु भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन के मद में व्यय की जाने वाली राशि माह मार्च, 2014 से 101.47/-रु0 प्रति क्वींटल निर्धारण करने एवं इस मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु 41,55,95,752/- (एकतालीस करोड़ पचपन लाख पनचानवे हजार सात सौ बावन) रुपये मासिक एवं 4,98,71,49,030/- (चार अरब अनठानवे करोड़ एकहत्तर लाख उनचास हजार तीस) रुपये वार्षिक व्यय संभावित है ।

8. माह मार्च, 2014 में 41,55,95,752/- (एकतालीस करोड़ पचपन लाख पनचानवे हजार सात सौ बावन) रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु 4,98,71,49,030/- (चार अरब अनठानवे करोड़ एकहत्तर लाख उनचास हजार तीस) रुपये वार्षिक व्यय की संभावना है । इस प्रकार उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 540.27 (पाँच सौ चालीस करोड़ सताईस लाख) रुपये व्यय संभावित है ।

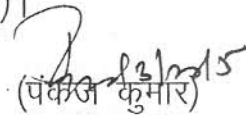
9. अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन रु0 101.47 (एक सौ एक रुपये सैतालीस पैसा) प्रति क्वींटल का दर निर्धारण करने का प्रस्ताव है ।

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी हेतु भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन के मद में व्यय की जानी वाली राशि का भुगतान में होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना मांग संख्या-18 उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-P 3456001020306 विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0- P 3456007890302, विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी एवं मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-

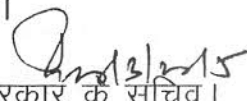
Amalendu

P 3456007960302 विषय शीर्ष 33-01 सब्सिडी के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से किया जाएगा। उक्त बजट शीर्ष से डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम को राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त योजना में व्यय किये जाने के पश्चात् अवशेष राशि से प्रस्तावित कार्य हेतु वर्तमान वर्ष में राशि का व्यय किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में इस मद में आवश्यकता के अनुरूप राशि का उपबंध विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 10.03.2015 को मद संख्या-10 के रूप में स्वीकृति तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। (संचिका सं० प्र०६ विविध- 74/2014- पृ० 177/टि०)।

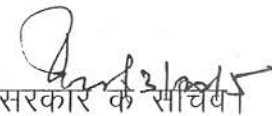

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय।

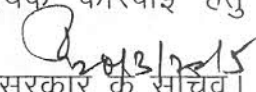

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - प्र०६-विविध-74/2014 2395 खाद्य-पटना/दिनांक-20.03.15
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी० डी० संलग्न)।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

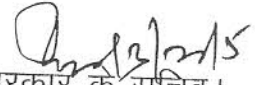

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - प्र०६-विविध-74/2014 2395 खाद्य-पटना/दिनांक-20.03.15
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

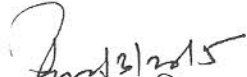

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - प्र०६-विविध-74/2014 2395 खाद्य-पटना/दिनांक-20.03.15
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

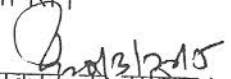
प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय /स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।


सरकार के सचिव।

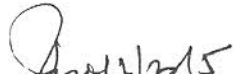
ज्ञापांक - प्र06-विविध-74/2014 2395 खाद्य-पटना/दिनांक- 20.03.15
प्रतिलिपि - बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/अपर सचिव-सह- सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

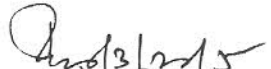
ज्ञापांक - प्र06-विविध-74/2014 2395 खाद्य-पटना/दिनांक- 20.03.15
प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - प्र06-विविध-74/2014 2395 खाद्य-पटना/दिनांक- 20.03.15
प्रतिलिपि - अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - प्र06-विविध-74/2014 2395 खाद्य-पटना/दिनांक-20.03.15
प्रतिलिपि - आईटी मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।